क्रा.प्रपत्र
परिशिष्ट-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र0 2547
ग्वालियर एवं चंबल संभाग के ज़िलों में हुई बच्चों की मृत्यु की जानकारी

S.No.	State / District	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (till Jan.)	Total
1	अशोकनगर	118	257	242	293	326	**1236**
2	भिण्ड	147	223	580	429	736	**2115**
3	दतिया	99	180	300	528	293	**1400**
4	गुना	153	448	800	568	744	**2713**
5	ग्वालियर	77	194	641	865	350	**2127**
6	मुरैना	217	857	791	680	681	**3226**
7	श्योपुर	303	465	477	580	547	**2372**
8	शिवपुरी	349	431	747	429	376	**2332**
कुल		**1463**	**3055**	**4578**	**4372**	**4053**	**17521**

(डॉ. मनीष सिंह)
उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–ब
(पृष्ठ क्र. 1 से 2)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क0 2547 प्रश्न भाग ख की ज़ानकारी

शासन द्वारा बच्चों की मृत्युओं को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों/कार्यवाही (नीति/योजनायें) की जानकारी :–

- **विश्व स्तनपान सप्ताह** :– प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 8 अगस्त के मध्य विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में समुदाय में स्तनपान को बढावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
- **मॉ कार्यक्रम** :– शिशु एवं बाल जीवितता को बढ़ावा देने हेतु स्तनपान संबंधी सामुदायिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से धात्री माताओं द्वारा नवजात को स्तनपान कराने में सहयोग दिया जाता है।
- **न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर की स्थापना** : प्रदेश में संचालित 1537 शासकीय प्रसव केन्द्रों पर न्यूबोर्न केयर कॉर्नर की स्थापना की गई है।
- **नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना** :– प्रसव उपरांत गंभीर नवजात शिशु मृत्यु की सघन जांच एवं उपचार हेतुं प्रदेश के 49 जिला अस्पतालों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना की गई है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होकर डिस्चार्ज हुए बच्चों के कुल 5 संस्थागत फॉलोअप किये जाते हैं।
- **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयों की स्थापना** :– ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संस्थाओं में नवजात शिशु की सघन जांच एवं उपचार हेतु चिन्हित सिविल अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 60 इकाईयाँ संचालित हैं।
- **परिवार केन्द्रित देखभाल** अंतर्गत शिशु के स्थिरीकरण के पश्चात माता/परिजनों को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हुए नवजात शिशु की देखभाल में दक्ष किया जाता है। माँ/परिजनों को शिशु को उठाना, दूध पिलाना, कंगारू पद्धति से देखभाल करना, शिशु की सफाई करना इत्यादि सिखाया जाता है।
- **पीडियाट्रिक इमरजेन्सी ट्रायऐज एवं ट्रीटमेंट यूनिट**:– सभी जिलों में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के जिला चिकित्सालय पहुँचने पर Point of Use पर आवश्यक उपकरण, दवाईयाँ, सामग्री एवं प्रशिक्षित चिकित्सक/स्टाफ नर्सेस तत्काल उपचार प्रदान करने हेतु उपलब्ध होते हैं।
- **बाल्य गहन चिकित्सा इकाई** :– एक माह से 12 वर्ष तक के बच्चों को त्वरित उपचार की सुविधा प्रदान करने हेतु भोपाल, छिन्दवाड़ा, रतलाम, गुना, शिवपुरी, मुरैना एवं दतिया जिला चिकित्सालय में बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयां स्थापित की गई हैं।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना** :– गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचार प्रदान करने हेतु प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती होकर डिस्चार्ज हुए बच्चों के प्रति 15 दिवस पर कुल 4 संस्थागत फॉलोअप किये जाते हैं।
- **सघन दस्तरोग नियंत्रण पखवाडा** :– प्रतिवर्ष जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्तरोग के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए माह जुलाई–अगस्त में सघन दस्तरोग नियंत्रण पखवाडा मनाया जाता है।
- **टीकाकरण** :– जन्म से 5 वर्ष के बच्चों में 9 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु सम्पूर्ण टीकाकरण कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क टीके लगाये जा रहे हैं।
- **मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम** :– जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम अंतर्गत संमस्त बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** :– आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत मेडीकल टीम द्वारा जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का गांव–गांव भ्रमण कर जन्मजात विकृति, बीमारी, कमी एवं शारीरिक विकास में विलंब की पहचान कर आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है। आवश्यकता होने पर उच्च संस्था पर रैफर किया जाता है।

- **दस्तक अभियान** :– समुदाय में जनसमुदाय को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रति 6 माह में दस्तक अभियान का आयोजन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों में टीकाकरण, विटामिन–ए अनुपूरण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्तरोग, गंभीर कुपोषित बच्चों, जन्मजात विकृतियों की सक्रिय पहचान कर जांच एवं उपचार की व्यवस्था की जाती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** :– अंतर्गत एक वर्ष तक की आयु के शिशुओं को निःशुल्क उपचार, आहार, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- **गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल** :– जन्म से 28 दिन की अवधि में नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संस्थागत प्रसव में 6 तथा घर पर प्रसव होने पर 7 गृहभेंट दी जाती है।
- **हाईरिस्क शिशु ट्रेकिंग फॉलोअप** :– शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में आशा द्वारा 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु में 2.5 किलो ग्राम से कम जन्म वज़न एवं एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को गृहभेंट दी जाती है।

(डॉ. मनीष सिंह)
उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश